न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2024/766/जिला–अजमेर

सत्यनारायण दत्तक पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल हेडा जाति महाजन, निवासी सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री स्व0 श्री रामगोपाल हेडा धर्मपत्नि श्री विष्णुदत्त राठी जाति महाजन, निवासी 41. हीरानगर, डी0सी0एम0 अजमेर रोड, जयपुर।
2. श्रीमती पार्वती देवी पुत्री स्व0 श्री रामगोपाल हेडा धर्मपत्नि श्री दिनेश कुमार ईनाणी जाति महाजन, निवासी ईनाणी एम्बेसी, चित्तोडगढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड, जिला अजमेर।

———प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश तहसीलदार, सरवाड़ दिनांक 14–11–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2017 बउनवान सत्यनारायण बनाम श्रीमती पुष्पा व अन्य

————

संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

उपस्थित– 1. श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलार्थी

2. श्री अविनाश टांक, अभिभाषक, प्रत्यर्थी सं0 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 01–12–2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, सरवाड़ के समक्ष विरासत का नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो उनके द्वारा बताया कि उक्त प्रकरण में सिविल वाद के निस्तारण से पूर्व नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त सिविल वाद दिनांक 3–12–2018 को निरस्त कर दिया। तहसीलदार सरवाड़ को उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2017 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया। तहसीलदार को उक्त प्रकरण विवादित होने की जानकारी होने के कारण प्रकरण धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। दिनांक 30–8–2020 को अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजियात की चौसाला जमाबंदी की सम्वत 2069–2088 की नेट से नकल प्राप्त की गई जिसमें नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 19–8–2020 शुद्धि पत्र का नामान्तरकरण

संभागीय आयुक्त अजमेर

प्रक्रियाधीन है, का नोट अंकित पाया गया तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा तहसील कार्यालय जाकर जानकारी की तो नामान्तरकरण संख्या 5126 दिनांक 27–9–2019 को ही अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपर कलक्टर, अजमर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है।अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में पारित आदेश दिनांक 14–11–2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि दिनांक 30.8.2020 को प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2069 लगायत 2088 की नेट से नकल प्राप्त की गई जिसमें "नामांतरकरण संख्या 21 दिनांक 19.8.2020 शुद्धि पत्र का नामांतरकरण प्रक्रियाधीन है का नोट अकित पाया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय जाकर जानकारी चाही गयी तो नामांतरकरण संख्या 5126 दिनांक 27.9.2019 को ही प्रार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम तस्दीक किया जाना बताया गया एवं शुद्धि पत्र सख्या 21 भी दिनांक 21.8.2020 को स्वीकृत कर दिया गया। चूंकि उक्त शुद्धि पत्र नामांतरकरण संख्या 5126 दिनांक 27–9–2019 के फुटस्टेप में भरकर स्वीकृत किया गया है। अत दिनांक 2.9.2020 को नामातरकरण एवं शुद्धि पत्र की नकल प्राप्त होने पर अभिभाषक से कानूनी सलाह ली जिन्होंने नामान्तरण संख्या 5126 के विरूद्ध अपर कलेक्टर अजमेर के समक्ष एवं आदेश दिनांक 14.11.2017 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी तत्पश्चात दिनांक 11.09.20 को अपील तैयार करवाकर जानकारी दिनांक से यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त अजमेर

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि श्री रामगोपाल पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र हेडा जाति महाजन निवसी सरवाड़ द्वारा दिनांक 19.8.2009 को अपीलार्थी सत्यनारायण जायन्दा पुत्र श्री शंकरलाल को गोद लेकर अपना गोदपुत्र घोषित किया था। इस बाबत रूबरू गवाहान जसराज पुत्र श्री लादूराम एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मोहनलाल एवं महावीर प्रसाद पुत्र श्री सोहनलाल प्रजापत के समक्ष गोदनामा उप पजीयक महोदय, सरवाड़ के समक्ष पंजीकृत कर निष्पादित करवा दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी श्री रामगोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र का जरिये पंजीबद्ध गोदनामा गोद पुत्र हो गया। श्री रामगोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र का दिनाक 8.10.2009 को एवं श्रीमती किशन प्यारी धर्मपत्नि श्री रामगोपाल जी हेडा का दिनाक 22.3.2006 को स्वर्गवास हो गया। अर्थात श्रीमती किशन प्यारी का दिनाक 22.3.2006 को स्वर्गवास होने के पश्चात दिनांक 19.8.2009 को श्री रामगोपाल जी द्वारा अपीलाट को जरिये पंजीबद्ध गोद पत्र गोद ग्रहण किया गया। तत्पश्चात दिनांक 8–10–2009 को श्री रामगोपाल जी का भी स्वर्गवास हो गया जिनके सजरा अनुसार सत्यनारायण दत्तक पुत्र पुष्पा पुत्री एवं पार्वती पुत्री जीवित वारिसान है। उक्तानुसार अपीलार्थी को श्री रामगोपाल द्वारा दत्तक ग्रहण करते हुए श्री रामगोपाल के परिवार में सत्यनारायण जायन्दा पुत्र की भांति पारिवारिक सदस्य हो गया जिससे अपीलार्थी सत्यनारायण द्वारा दिनाक 24.7.2017 को तहसीलदार, सरवाड के समक्ष 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके दत्तक पिता एवं माता का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी वारिसान में स्वयं अपीलाट एवं दो बहने श्रीमती पुष्पा एवं श्रीमती पार्वती है जिससे श्री रामगोपाल एवं श्रीमती किशन प्यारी खातेदारी/काश्तारी की आराजियात का विरासती नामान्तरकरण वर्णित तीनों वारिसानों के नाम दर्ज किया जावे। विवादित आराजियात का विवरण निम्नानुसार हैः–

(अ) श्रीमती किशनप्यारी पत्नी श्री राम गोपाल की खातेदारी की भूमिः–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
नया पुराना	2353	0.02	गै0मु0 चाह
290	2354	1.33	बा0–1
248	2355	0.56	"
	2356	0.54	"
	2357	1.03	"

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त अजमेर

(ब) श्रीमती किशनप्यारी पत्नी श्री राम गोपाल की खातेदारी की भूमिः–				
1282	249	3086	0.80	चही–1
		3089	0.06	गै0मु0चाह
		3090	0.01	"
		3091	0.70	चाही–1
(स) श्री रामगोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र की खातेदारी की भूमिः–				
1488	1212	4765	0.09	चाही उत्तम
		4790	0.23	"
		4899	0.44	चही–1
		4921	0.25	"
		4926	0.28	"
		4939	0.12	"

उपरोक्त वर्णित आराजीयात जो कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सख्या 1 व 2 की मात्ता एवं पिता की खातेदारी की भूमिया है जिनका विरासत का नामांतरकरण अपीलाट एव प्रत्यर्थी सख्या 1 लगायत 2 के नाम तस्दीक करवाने हेतु तहसीलदार, सरवाड़ के समक्ष शपथ पत्र अपीलाट द्वारा दिनांक 24.7.2017 को प्रस्तुत किया गया। उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रत्यर्थी श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सरवाड के समक्ष अपीलार्थी के हक में निष्पादित पंजीकृत गोदनामा दिनांक 19.8.2009 के निरस्तीकरण हेतु दिनांक 5.8.2017 को अपीलाट के विरूद्ध व्यवहार वाद बउनवानी पुष्पादेवी बनाम् सत्यनारायण वगेरह प्रस्तुत कर दिया गया जिसमे दिनांक 17.8.2017 को अपीलार्थी की ओर अभिभाषक का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार, सरवाड के समक्ष भी विरासती नामातरकरण हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती बाबत अभिभाषक महोदय को जानकारी प्रदान की गई जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त सिविल वाद के निस्तारण से पूर्व विद्वान तहसीलदार महोदय, सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पर समरी कार्यवाही होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी अतः पहले सिविल वाद का निस्तारण होगा उसके बाद ही नामान्तरकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त सिविल वाद दिनांक 3–12–2018 को निरस्त भी हो गया था उसके बावजूद तहसीलदार सरवाड़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14–11–2017 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया जबकि प्रकरण विवादित होने के कारण धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में दर्ज किया गया था। उसके बाद भी तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 5126 दिनांक 27–9–2019 अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपर जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2017 विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 8.11.2017 के अनुसार अपीलार्थी सत्यनारायण को दिनाक 6.10.2017 को ही

तामील होना अंकित किया गया है जबकि इससे पूर्व की पेशी दिनांक 13–10–2017 की आदेशिका में अपीलार्थी को कोई नोटिस तामील होने बाबत् अकन नहीं है जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुर्तिब आदेशिकाए स्वयं संदिग्ध है एवं गैर कानूनी तरीके से आदेशिकाएं मुर्तिब कर विपक्षीगण को अवांछित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 8.11.2017 को अनुपस्थित बताया गया था ऐसी स्थिति में उसी दिन प्रकरण अदम हाजरी में निरस्त कर देना चाहिए था किन्तु अपीलार्थी की अनुपस्थिति दिखाकर प्रत्यर्थी श्रीमती पुष्पादेवी एवं महावीर कुम्हार के बयान ग्रहण किये गए जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सरवाड़ को धारा 65 एवं 66 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था क्योंकि प्रकरण विरासत के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक करने का था जिसमें पक्षकारान के काश्तकारी अधिनियम के तहत हक, अधिकार एवं स्वत्वों बाबत् निर्धारण नहीं किया जा रहा था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भी उक्त प्रकरण संख्या 5/2017 को पुर्नस्थापित नहीं करवाया गया था इसके बावजूद विवादित प्रकरण होने तथा सिविल न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन होने पर भी नामांतरकरण सख्या 5126 दिनांक 27.9.2019 को श्रीमती किशनप्यारी की खातेदारी की भूमि बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम तस्दीक कर दिया गया जबकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण दिनांक 14.11.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका था तो नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार सरवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 निरस्त कर प्रकरण संख्या 5/17 को पुन नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर गुणावगुण पर आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात श्रीमती किशन प्यारी पत्नी श्री रामगोपाल व रामगोपाल पुत्र श्री रामचन्द्रकी खातेदारी की है जो प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के माता पिता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के माता पिता ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलार्थी को गोद नहीं लिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ही उनके माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात विधिक वारिसान है। अपीलार्थी का विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 विधिक वारिसान होने से उनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त
सत्यमेव जयते
अजमेर

संभागीय आयुक्त
अजमेर

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार रामगोपाल हेडा पुत्र रामचन्द्र निवासी सरवाड़ द्वारा अपने सगे भाई के लड़के को विधिवत गोद लेकर उपपंजीयक सरवाड़ से पंजीकृत कराया है। स्व0 रामगोपाल के दो जायन्दा पुत्रियां जिनका विवाह हो चुका है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दु पुरूष की मृत्यु होने के पश्चात उसके विधिक वारिसान का विवादित आराजियात में बराबर का हक अधिकार निहित होता है। स्व0 रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को गोद लिया है जो गोदनामा दिनांक 19–8–2009 से स्पष्ट सिद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय में उक्त गोदनामें को निरस्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 3–12–2018 को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष स्व0 रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र द्वारा निष्पादित गोदनामा वैध है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, सरवाड़ को स्व0 रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र एवं उनकी पत्नी किशनप्यारी पत्नी श्री रामगोपाल की मृत्यु के उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी श्री सत्यनारायण दत्तक पुत्र स्व0 रामगोपाल एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 पुत्रियों के पक्ष में विवादित आराजियात का विरासत के आधार पर 1/3–1/3 हिस्से का नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था। तहसीलदार, सरवाड़ ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 14–11–2017 को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में सम्पूर्ण आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 5126 दिनांक 27–09–2019 स्वीकृत कर दिया जो उचित नहीं है, जबकि कानूनन अपीलार्थी दत्तक पुत्र होने के कारण अपीलार्थी का नाम भी नामान्तरकरण में बहैसियत बराबर 1/3–1/3–1/3 हिस्सा तीनों में दर्ज किया जाना चाहिए था। तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में ही नामान्तरकरण संख्या 5126 दिनांक 27–09–2019 स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2017 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2017 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2017 बउनवान सत्यनारायण बनाम श्रीमती पुष्पा वगैरह विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त
सत्यमेव जयते
अजमेर